संख्या– /XXVIII–5–2011–194/2007

प्रेषक,

सुनीलश्री पांथरी
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग– 5 देहरादून, दिनांकः 27 दिसम्बर,2011

विषयः गांधी नेत्र चिकित्सालय के निर्माणाधीन भवन हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–766/XXVIII–5–2008–96/2004, दिनांक 18.09.2008 एवं आपके पत्रांक–7प/8/गॉ0श0/47/2007/39317, दिनांक 28.11.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, गांधी नेत्र चिकित्सालय, देहरादून के निर्माणाधीन भवन हेतु अनुमोदित लागत ₹1222.94 लाख के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि ₹940.00 लाख के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2011–12 में सम्पूर्ण अवशेष धनराशि ₹282.94 लाख (रूपये दो करोड़ बय्यासी लाख चौरानबे हजार मात्र) अवमुक्त करते हुए, निम्न शर्तो के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– उक्त धनराशि आहरित कर अधिशासी अभियन्ता, (निर्माण खण्ड) लोक निर्माण विभाग, देहरादून को उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष में करते हुए शीघ्र भवन विभाग को हस्तगत करा दिया जायेगा तथा योजना पर विलम्ब हेतु आगणन पुनरीक्षण पर विचार नही किया जायेगा। स्वीकृति संबंधी मूल शासनादेश की सभी शर्तें यथावत् रहेंगी।

2– स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों एवं शासन द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3– स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

4– अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2012 तक करते हुए वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

5– स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश सं0–209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31.03.2011 में इंगित निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

6– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।

7– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय आय–व्ययक वर्ष 2011–12 के अनुदान सं0–12 के लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें, 110–अस्पताल तथा औषधालय, 17–अनावासीय भवनों में वृहद स्तरीय अनुरक्षण विस्तारीकरण निर्माण–00–आयोजनागत, 24– वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0-368(P)/XXVII(3)/ 2011-12, दिनांक 26 दिसम्बर, 2011 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

/

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव

संख्या-1807(1)/XXVIII-5-2011-194/2007 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, ओबेरॉय बिल्डिंग, माजरा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2- निदेशक, कोषागार, देहरादून।
3- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
4- मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून।
5- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
6- अधिशासी अभियन्ता, (निर्माण खण्ड) लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
7- बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
9- मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून ।
10- गार्ड फाईल।

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव